कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश

क्रमांक 294/स्था/राज/संचिशि/2022, भोपाल, दिनांक 17/03/2022

प्रति,

अधिष्ठाता,
चिकित्सा महाविद्यालय,
भोपाल।

विषय :- चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन विभिन्न विभागों में आवश्यकता से अधिक तथा उनमें से भरे पदों के रिक्त होने पर संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को समर्पित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक एफ 2–15/2022/1/55 दिनांक 04.03.2022

---00---

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति हेतु संचालनालय द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुरूप समस्त संस्थाओं द्वारा विभागीय वेबसाईट में उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में अंकित की गई जानकारी के आधार पर मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 04.03.2022 द्वारा एन.एम.सी. के मापदण्डों के अनुसार पदों का युक्तियुक्तकरण किया जाकर उसी चिकित्सा महाविद्यालय के अन्य विभाग अथवा अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में पदों को स्थानांतरित किये जाने सम्बन्धी आदेश जारी किये गये हैं।

2/ चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा विभागीय वेबसाईट में उपलब्ध प्रपत्र में अंकित की गई जानकारी के अनुसार कॉलम क्रमांक 10 (सुपर स्पेशलिटी विभागों के प्रपत्र में कॉलम क्रमांक 6) में अतिरिक्त संख्या में सृजित पदों की जानकारी अंकित करते हुये इसी कॉलम के अनुक्रम में कॉलम क्रमांक 11 (सुपर स्पेशलिटी विभागों के प्रपत्र में कॉलम क्रमांक 7) में अतिरिक्त संख्या के भरे पद की संख्या तथा कॉलम क्रमांक 12 (सुपर स्पेशलिटी विभागों के प्रपत्र में कॉलम क्रमांक 8) में अतिरिक्त संख्या के रिक्त पदों की संख्या को अंकित किया गया है। संस्था द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कॉलम क्रमांक 12 (सुपर स्पेशलिटी विभागों के प्रपत्र में कॉलम क्रमांक 8) अनुसार अतिरिक्त संख्या के खाली पदों को शासन के संदर्भित

आदेश दिनांक 04.03.2022 से अन्य विभागों/महाविद्यालयों में स्थानांतरित किया गया है।

3/ पैरा 2 के अनुक्रम में कॉलम क्रमांक 11 (सुपर स्पेशलिटी विभागों के प्रपत्र में कॉलम क्रमांक 7) अनुसार विभिन्न विभागों के अंतर्गत अतिरिक्त संख्या के भरे पद तथा कॉलम क्रमांक 12 (सुपर स्पेशलिटी विभागों के प्रपत्र में कॉलम क्रमांक 8) अनुसार अतिरिक्त संख्या के शेष रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	चि.महा. का नाम	पदनाम	विभाग का नाम	पद संख्या
1	2	3	4	5
1.	भोपाल	प्राध्यापक	अस्थि रोग	01
			कुल योग	**01**
		सह प्राध्यापक	एनेस्थेसिया	01
			कुल योग	**01**
		सहायक प्राध्यापक	कम्युनिटी मेडिसिन	02
			कुल योग	**02**
		ट्यूटर/प्रदर्शक	एनाटॉमी	01
			बायोकेमेस्ट्री	01
			पैथोलॉजी	04
			फार्माकोलॉजी	01
			फिजियोलॉजी	03
			कुल योग	**10**
		जूनियर रेसीडेन्ट	डरमेटोलॉजी	01
			जनरल सर्जरी	04
			सायकेट्री	03
			दन्त रोग (रिक्त)	03
			कुल योग	**11**

नोट :- "रेस्पिरेटरी मेडिसिन अंतर्गत प्रदर्शक, सीनियर रेसीडेंट तथा जूनियर रेसीडेंट के पद सूची में सम्मिलित नहीं है। उक्त विभाग का उन्नयन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज में किया जाकर नवीन पद सृजित किये गये हैं, जिन्हें जारी की जाने वाली नवीन अनुसूची में सम्मिलित किया जाएगा।"

4/ पैरा 3 में उल्लेखित तालिका के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देशित किया जाता है कि तालिका अनुसार वर्तमान में यह पद भरे अथवा रिक्त हैं। अतः अतिरिक्त संख्या के भरे पदों के रिक्त होने पर इन पदों पर किसी प्रकार से नवीन नियुक्ति

निशात वरवड़े
आई.ए.एस.
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा

न की जाये तथा पद रिक्त होने पर इसकी सूचना संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को तत्काल दी जाये, जिससे आवश्यकतानुसार इन पदों को अन्य विभागों/चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानांतरित की जाने की कार्यवाही की जा सके। पैरा–3 की तालिका में उल्लेखित पदों के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान समय में संशोधित की जाने वाली अनुसूचियों में इन पदों की संख्या को, संबंधित विभाग के अंतर्गत दर्शाया जाएगा, किन्तु संस्था द्वारा इन पदों के विरूद्ध नवीन अधिकारियों की नियुक्ति/पदोन्नति प्रतिबंधित रहेगी।

5/ पैरा 4 अनुसार संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा समयावधि में संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को अवगत न कराये जाने अथवा उक्त पद को भविष्य में पुनः भरे जाने की स्थिति में **उक्त पद पर होने वाला समस्त व्यय शासन द्वारा वहन न किया जाकर स्वशासी संस्था द्वारा किया जाएगा** तथा इस त्रुटि के लिए अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय तथा स्थापना प्रभारी, संबंधित संवर्ग जिम्मेदार माने जायेगें तथा इनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक /स्था/राज/संचिशि/2022, भोपाल, दिनांक ..../03/2022
प्रतिलिपि :—

1. **निज सचिव**, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. **संभागायुक्त**, भोपाल संभाग, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश